क्रम सं० और तारीख	आदेश और कार्यवाही का संक्षेप	टिप्पणी
1		3

न्यायालय, सगाहर्त्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी, मधेपुरा।

B.C.C.A. Case No.- 102 /2020 राज्य बनाम मो० शब्बीर

-: आदेश :-

27.10.2020 यह कार्यवाही बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम-1981 की धारा-3 की उप धारा-3 के तहत की जा रही है। पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा ने अपने पत्रांक-761/सी.आर. दिनांक 18.10.2020 के द्वारा प्रतिवेदित किया है कि **मो० शब्बीर पे० मो० महफूज, सा० रागरदीना, थाना बिहारीगंज, जिला मधेपुरा** एक सक्रिय एवं साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाला अपराधकर्मी है। इनके विरूद्ध मधेपुरा जिला के **बिहारीगंज थाना** में कांड दर्ज हैं तथा माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। आसन्न बिहार विधान सभा आम चुनाव 2020 में किसी एक पार्टी की ओर से मतदाताओं को अपने पक्ष में वोट डलवाने के लिए डरा-धमका रहे हैं, जिससे क्षेत्र में विधि-व्यवस्था एवं शांति-व्यवस्था भंग होने की पूरी संभावना है। ऐसी परिस्थिति में क्षेत्र में लोकहित एवं जनहित में विधि-व्यवस्था बनाए रखने हेतु इनके विरूद्ध बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा-3(3) के तहत विरूद्ध करने पर बल दिया गया है। प्रतिवेदन के अनुसार इनका अपराधिक इतिहास निम्नवत है:- **(1) बिहारीगंज थाना कांड सं०-172/16, दि. 12.10.16, धारा-147/148/ 149/341/323/337/427/353/295/295ए. भा.द.वि.।**

प्रतिपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर कारण पृच्छा दाखिल किया। उनका कहना है कि प्रतिपक्षी बिल्कूल ही निर्दोष एवं शांति प्रिय व्यक्ति है, जो मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का भरण-पोषण करता है। ग्रामीण दलबंदी के कारण अभियुक्त बना दिया गया है। चुनाव में बाधा डालने का आरोप बिल्कूल ही निराधार है। कानुन के विपरीत कोई ऐसा कार्य नही किया है। असामाजिक तत्वों से कोई सांठ-गांठ नही है। ये साफ छवि के हैं। ये बाराबर बीमार रहा करते हैं। इसलिए दाखिल जबाव पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उक्त आरोप से मुक्त करने एवं संचालित कार्यवाही को समाप्त करने का अनुरोध किया गया है।

राज्य के पक्षकार विज्ञ अपर लोक अभियोजक के द्वारा बताया गया कि प्रतिपक्षी के विरूद्ध प्रतिवेदित कांड गंभीर प्रकृति के है। सम्प्रति मामला विज्ञ अपराधिक न्यायालय में विचाराधीन है। इनके द्वारा बिहारीगंज में साम्प्रदायिक सौहार्द्य बिगाड़ा गया था, जिसमें इनके विरूद्ध उक्त कांड दर्ज हुआ है। पुलिस प्रतिवेदन से जाहिर होता है प्रतिपक्षी का व्यवहार समाजिक परम्पराओं के विरूद्ध एवं मनबढ़ स्वभाव के व्यक्ति हैं। इसी गैर जिम्मेदाराना हरकत के चलते अगामी चुनाव में विधि-व्यवस्था पर असर पड़ने की संभावना व्यक्त की गई है। इनके आचरण को देखते हुए चुनाव के दौरान मतदाताओं में भय व्याप्त होना स्वभाविक है। इन्हें प्रतिबंद्धित किया जाना जरूरी है, ताकि मतदान में कमजोर वर्गो के मतदाताओं को कोई कठिनाई नही उठना पड़े। इन्हें केवल मतदान के दिन कुछ शर्त्तो के साथ मतदान करने हेतु छूट दी जा सकती है।

राज्य का पक्ष सुनने के बाद प्रतिपक्षी के अपराधिक घटनाओं के विश्लेषण के आधार पर मैं संतुष्ट हूँ कि बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम-1981 की धारा-2(डी)(1) के अन्तर्गत ये "असामाजिक तत्त्व" हैं तथा इनकी गतिविधि एवं कार्य से आम जनता में भय व्याप्त है, जिससे आमजन के जीवन एवं सम्पत्ति की सुरक्षा के लिये खतरनाक है। आरोप की प्रकृति एवं उपलब्ध तथ्यों के आधार पर ऐसा विश्वास होता है कि ये ऐसे कार्य में लिप्त हैं या लिप्त हो सकते हैं, जो भारतीय दंड विधान 1861 के अध्याय XVI या अध्याय XVII के अन्तर्गत दंडनीय अपराध है, जिन पर नियंत्रण करना प्रशासनिक एवं लोकहित में नितांत आवश्यक है। अतः उल्लेखित तथ्यों के आधार पर **मो० शब्बीर पे० मो० महफूज, सा० सगरदीना, थाना बिहारीगंज, जिला मधेपुरा** को बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम-1981 की धारा-3 की उपधारा-3 के अन्तर्गत **71-बिहारीगंज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र** का मतदान प्रक्रिया पूर्ण होने तक **अनुमंडल मधेपुरा अन्तर्गत श्रीनगर थाना में उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश** दिया जाता है। उन्हें यह भी आदेश दिया जाता है कि वे आदेश प्राप्ति की तिथि से मधेपुरा जिला के श्रीनगर थाना में सदेह उपस्थित होकर प्रत्येक दिन 10:00 बजे पूर्वा० से 12:00 अप० के बीच अपना उपस्थिति दर्ज करायेंगे। दिनांक **07-11-2020** को अपने गत का प्रयोग करना चाहे, तो उन्हें लिखित सूचना **श्रीनगर थाना** में, मतदान केन्द्र पर पहुँचने हेतु यात्रा रूट, चलने का समय एवं वापसी का समय अंकित कर पूर्ण ब्यौरा समर्पित करेंगे, तत्पश्चात् थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर ही मतदान करने हेतु प्रस्थान करेंगे। **थानाध्यक्ष, श्रीनगर** को निदेश दिया जाता है कि वे अपने थाना में इसके लिए एक उपस्थिति पंजी संधारित करेंगे और **मो० शब्बीर पे० मो० महफूज, सा० सगरदीना, थाना बिहारीगंज, जिला मधेपुरा** का नाम अंकित कर प्रत्येक दिन उपस्थिति दर्ज करायेंगे। इसका साप्ताहिक प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को निरन्तर भेजना सुनिश्चित करेंगे। दोनों थानाध्यक्षों को यह भी निदेश दिया जाता है कि प्रतिपक्षी पर पैनापन नजर रखेंगे। किसी प्रकार की गड़बड़ी पाए जाने पर उनके विरूद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई करेंगे।

आदेश की प्रति **पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा** को भेजें। आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु अपने स्तर से भी संबंधित थानाध्यक्षों को निदेशित करेंगे।

आदेश की प्रति प्रतिपक्षी को तामिला कराने **थानाध्यक्ष, बिहारीगंज** एवं आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु **थानाध्यक्ष, श्रीनगर** को भेजें।

आदेश की प्रति जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा को भी आम जनता में प्रचार-प्रसार हेतु भेजें एवं एक प्रति मधेपुरा जिला के वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु भेजें।

ह०/-
जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा।

लेखापित एवं शुद्धिकृत,

ह०/-
जिला दण्डाधिकारी, मधेपुरा।

डी0बी0नं0 874 /न्या0, दिनांक 27/10/2020

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा/ जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा/ थानाध्यक्ष, बिहारीगंज/ थानाध्यक्ष, श्रीनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : **मो० शब्बीर पे० मो० महफूज, सा० रागरदीना, थाना बिहारीगंज, जिला मधेपुरा** को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

27/10

जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा।